

न्यायालय : कु0 मधुलिका मुले, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना (म.प्र.)
... संशोधित कार्य विभाजन आदेश दिनांक 30.07.2025 ...

मैं कु0 मधुलिका मुले, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रशासनिक कार्य-व्यवस्था की दृष्टि से कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2025 प्रभावशील दिनांक:-25.04.2025 में निम्नानुसार **आगामी आदेश तक आंशिक** संशोधन समाविष्ट किया जाना प्रस्तावित है जो दिनांक 30.07.2025 से प्रभावशील होकर आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2025 प्रभावशील में निम्नानुसार संशोधन संयोजित किया जाता है :-

कार्यविभाजन पत्रक में उल्लेखित पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के परिवाद के साथ-साथ पेमेंट एण्ड सेटलमेंट एक्ट के परिवाद भी संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा उसी आर्थिक क्षेत्राधिकारिता के आधार पर ग्रहण किये जावेंगे जिस आधार पर पराक्रम्य लिखत अधिनियम के परिवाद प्रस्तुत होते हैं।



(कु0 मधुलिका मुले)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुना (म.प्र.)

पृ. क्रमांक— 9 / 2025

गुना, दिनांक 30.07.2025

प्रतिलिपि :-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय गुना की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांचौड़ा/आरोन/राघौगढ़/गुना के न्यायालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी, फाइलिंग रिसीविंग सेन्टर, न्यायालय चांचौड़ा/आरोन/राघौगढ़/गुना की ओर पालनार्थ प्रेषित।
4. सांख्यिकी अनुभाग, जिला न्यायालय गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, न्यायालय चांचौड़ा/आरोन/राघौगढ़/गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. सिस्टम ऑफिसर राघौगढ़/गुना की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई-मेल/मेसेज के माध्यम से संबंधितों को प्रेषित किये जाने हेतु।





(कु0 मधुलिका मुले)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुना (म.प्र.)